न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

94 / 2025

श्री दीपक कुमार दहिया निवासी नया कुऑ मीणा का चौक वार्ड सं. 25 बीकानेर जिला बीकानेर राज. पिन 334001

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक **04.12.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

टोंक जिले के टोडारायसिंह स्थित माता सीता सहचरी समाधि की भूमि स्वामित्व एवं निर्माण कार्य संबंधी सूचना प्राप्त करने बाबत।

1. टोडारायसिंह स्थित माता सीता सहचरी समाधि की जमीन किस विभाग/संस्था/व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, इसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
2. यदि जमीन सरकारी है तो वहां हो रहे निर्माण कार्य का विवरण दें-

लागत राशि

कार्यकारी एजेन्सी का नाम

निविदा की प्रति

निविदा की शर्ते

3 यदि जमीन निजी/संस्था की है तो

कार्य अनुमति आदेश

स्वीकृत ब्लूप्रिट/नक्शा

यदि अनुमति नहीं ली गई है, तो संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति।

यदि कार्यवाही नहीं की गई है. तो जिम्मेदार अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर व कारण की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 1973 दिनांक 09.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 985 दिनांक 24.10.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह से होने से उनके पत्र क्रमांक 781 दिनांक 16.10.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र क्रमांक 782 दिनांक 16.10.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को पत्र क्रमांक 2065 दिनांक 29.10.2025, 2161 दिनांक 11.11.2025 व 2308 दिनांक 27.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया

758

जिला कलेक्टर
टोंक

है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)